न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 276/2020 जिला टोंक।

मुंशी शाह पुत्र कासम शाह, जाति सांई, निवासी बस्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक।
—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक।
——असल रेस्पोडेंट

2. जैतून पुत्री कासम शाह
3. खातून पुत्री कासम शाह
4. चन्दा पुत्री कासम शाह
5. रईसा पुत्री कासम शाह

जति सांई, निवासी बस्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक।
——प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, टोंक दिनांक 15.03.1999 जो प्रकरण संख्या 13/1993 बउनवानी सरकार बनाम कासम खां में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः— श्री गिरीश शर्मा(वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक—(राजकीय अभि0)

निर्णय   दिनांकः—15.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक के आराजी खसरा नम्बर 140 में से 1 बीघा भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 5 के पिता कासम पुत्र जुम्मा जाति सांई मुसलमान के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति टोंक द्वारा दिनांक 07.12.1978 को नियमन की गई। नामातंरण संख्या 549 दिनांक 16.07.79 राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया। जमाबंदी संवत 2049—52 खाता संख्या नया 214 विवादित खसरा नम्बर 140 मीन 1 बीघा भूमि मुंशी पुत्र कासम, उलफत बेवा कासम जाति मुसलमान सांई साकिन्देह अंकित किया हुआ है। मगर राजस्व रिकोर्ड में यह अंकित नहीं है कि इनकी स्थिति खातेदारी की है अथवा गैर खातेदारी की। नियमन के पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट और रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 काबिजकाश्त चले आ रहे है। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि गैर खातेदारी के रूप में अपीलांट के पिता कासम के नाम दर्ज की गई थी। तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 29.03.1993 को कासम पुत्र जुम्मा के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर टोंक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया। कार्यवाही के दौरान कासम की मृत्यु हो गई। वारिसान को जवाब का अवसर दिये बिना जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 15.03.1999 को कासम पुत्र जुम्मा के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 07.12.1978 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

1. कासम खान की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को कायम मुकाम नहीं लिया जाकर पत्रावली पर निर्णय किया गया जो उचित नहीं है।

2. खसरा नम्बर 140 का पूर्ण रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा था। जिसमें से 18 बिघा भूमि दिनांक 19.03.1976 को जरिये नामातंरण संख्या 440 वन विभाग के नाम लग चुकी थी। शेष भूमि 13 बिघा 1 बिस्वा रही, जिसमें से 1 बीघा हमे मिली है और बिना हमे सुने प्रकरण का निर्णय जिला कलक्टर द्वारा किया गया जो गलत है। अतः जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.1999 को निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 07.12.1978 को बहाल किया जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना मय शपथ पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17 , 32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल पार्ट 2 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के साथ प्रकरण संख्या 13/1993 तहसीलदार निवाई बनाम कासम केस की ऑर्डरशीट प्रार्थना पत्र 14(4), जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 15.03.1999 प्रस्तुत किये।

अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी कर रिकोर्ड मंगवाया जाने का आदेश जारी किया गया। रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17, 32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल पार्ट–2 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.1999 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो नकल उसे अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रमाणित प्रति प्रस्तुतीकरण से उसे छूट प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की आड़ में रेस्पोडेंट उसे जबरन बेदखल करने एवं अन्यत्र आवंटन करने हेतु आमादा है। जिसकी वजह से अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाये एवं अन्य के पक्ष में आवंटन/नियमन नही किया जाये। विवादित भूमि चूंकि सिवायचक है। प्रार्थी स्वयं कहता है कि अन्य के पक्ष में आवंटन/नियमन नहीं किया जाये। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अभी हाल ही में उसके द्वारा ऋण संबंधित कार्यवाही करने हेतु जमाबंदी ली। उसे ज्ञात हुआ कि भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई है। दिनांक 13.12.2019 को अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि अपील का निर्णय दिनांक 15.03.1999 को हो चुका है। जिसकी नकल मेरे द्वारा पूर्व में ही ली जा चुकी है। दिनांक 16.01.2020 को अजमेर आकर अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई। देरी को क्षमा किया जाये। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज से [illegible] कि दिनांक 02.08.2019 को 771 क्रमांक से उसके द्वारा नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जो दिनांक 19.08.2019 को उसे प्राप्त हुई है। न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा दिनांक 20.01.2020 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक के बाद अपीलांट [illegible] प्रत्येक दिवस देरी कारण बताना होता है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त हो चुकी थी। जबकि न्यायालय हाजा में उसके द्वारा दिनांक 20.01.2020 को अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की गई है जो बहुत देरी से प्रस्तुत की गई है तथा जानकारी दिनांक के बाद प्रत्येक दिन देरी का कारण भी नहीं बताया है। अपील को अंदर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। मगर न्यायालय मेरिट पर प्रकरण का निपटारा चाहता है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

बहस उभयपक्ष अभि0 सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 140 का कुल रकबा 31 बिघा 1 बिस्वा था जिसमे से 18 बिघा भूमि वनविभाग के नाम दर्ज की गई। शेष खसरा नम्बर 140 की 13 बिघा 1 बिस्वा भूमि सिवायचक बनी रही जिसमें से अपीलांट को भूमि आवंटन किया गया है। संवत 2049 में अपीलांट के पिता को खातेदारी मिल गई थी। जबकि धारा 14(4) की कार्यवाही दिनांक 15.03.1999 को की गई। अपीलांट के पिता की खातेदारी 1983 में ही हो चुकी है। धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। न्यायिक दृष्टांत 1988 आरआरडी पेज 689, 1987 आरआरडी 359 से स्पष्ट है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा कासम पुत्र जुम्मा के वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र अनिर्णित रखते हुए निर्णय किया गया जो कि न्यायिक दृष्टांत 2009 आरआरटी (2) उच्च न्यायालय पेज 930 व 2009(1) पेज 139 के विपरित होकर निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 29.12.1999 की पालना में भूमि सिवायचक दर्ज की गई है, ना कि वनविभाग के नाम। अतः अपील स्वीकार की जायें।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा नामांतरण पंजिका ग्राम बस्सी का नामातंरण संख्या 440 व 1161 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्रस्तुत की तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1987 पेज 359, आरआरडी 1988 पेज 689, आरआरटी 2009(2) पेज 931, आरआरटी 2009(1) पेज 139, आरआरटी 2002(1) पेज 649 प्रस्तुत किये।

राजकीय अभि0 ने बहस के दौरान यह बताया कि जिला कलक्टर टोंक का आदेश विधिवत है। भूमि आवंटन से पूर्व वन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी थी। अतः अपील खारिज की जायें।

जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 15.03.1999 का अवलोकन किया गया । उनके निर्णय के पैरा–4 के अनुसार राजकीय पैरोकार का कथन है कि जरिये नामातंरण संख्या 440 खसरा नम्बर खसरा नम्बर 140 की 18 बिघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई थी। जिसका नोट भी जमाबंदी संवत 2032–35 में लगा दिया था। आवंटन के समय यह भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन होने के बाद जरिये नामातंरण संख्या 549 दिनांक 16.07.79 द्वारा उक्त आवंटन का राजस्व रिकोर्ड में की गई अमल दरामद की कार्यवाही भी नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। आवंटन तिथि को विवादित भूमि वन विभाग की थी। जो आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।आवंटन के पश्चात आवंटी ने उक्त भूमि को काश्त नहीं की है। अतः यह आवंटन निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर टोंक के निर्णय पैरा 5 के अनुसार हमने राजकीय पैरोकार की बहस पर मनन किया। हम राजकीय पैरोकार के तर्कों से सहमत है तथा कासम को किया गया आवंटन खारिज किया जाना प्रतीत होता है। पैरा [illegible] अनुसार फलतः कासम पुत्र जुम्मा को ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 140 में से 1 बीघा भूमि [illegible] किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट है कि आवंटित भूमि वन विभाग के नाम आवंटन दिनांक से पूर्व ही दर्ज होने से तथा आवंटी द्वारा काश्त नहीं करने की वजह से आवंटन को तत्समय जिला कलक्टर टोंक द्वारा निरस्त किया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत 14(4) के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उसके पैरा–2 के अनुसार ग्राम बस्सी में नामातंरण संख्या 440 दिनांक 19.03.1976 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 140 की 18 बिघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई थी, जिसका अमल जमाबंदी पर लाल स्याही से नोट लगाकर संवत 2032–35 की जमाबंदी में कर दिया गया था। कासम के नाम भूमि जरिये नामातंरण संख्या 549 दिनांक 16.07.79 के द्वारा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त बिन्दु नम्बर 2 के बाद किया गया है। इस प्रकार उसी भूमि का पुनः अप्रार्थी कासम पुत्र जुम्मा जाति सांई के नाम नामातंरण दर्ज करने या आवंटन करने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। प्रार्थना पत्र के पैरा–6 में यह दर्ज किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 मण्डल वन अधिकारी टोंक को नॉर्मल पार्टी बनाया गया। प्रार्थी उससे कोई रिलिफ नहीं चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.1996 में प्रार्थी मुंशी पुत्र कासम है। जो प्रार्थना पत्र में बताता है कि दिनांक 25.10.1994 को उक्त प्रकरण में एकतरफा किया जाने का आदेश हो चुका है। प्रतिवादी को तामील नहीं हुई है मगर न्यायालय द्वारा तामील मानी जाकर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया है। अतः एकतरफा कार्यवाही निरस्त कर सुनवाई का अवसर दिया जायें।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा लिखित में अपनी ओर से छः बिन्दु बनाकर एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत किये। जिसमें क्रम संख्या 1 पर नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 जिसमें खसरा नम्बर 140 कुल रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा में से राज्य सरकार के आदेश में से खसरा नम्बर 140 की 18 बीघा भूमि महकमा जंगलात के नाम की। शेष खसरा नम्बर 140 की 13 बीघा 1 बिस्वा सिवायचक में से प्रार्थी अपीलांट को आवंटन किया गया। क्रम संख्या 2 पर जमाबंदी संवत 2049 में अपीलांट के पिता के खातेदारी में भूमि दर्ज की। जबकि 14(4) की कार्यवाही दिनांक 29.03.1993 को की गई। जबकि अपीलांट के पिता के विवादित भूमि 1983 में ही खातेदारी में दर्ज थी। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र संधारण योगय नहीं था। सन् 1988 आरआरडी पेज 689, 1987 आआरडी पेज 359 प्रदशः 2 से स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 3 के अनुसार कलक्टर महोदय द्वारा सभी वारिसान जो कासम खान पुत्र जुम्मा के थे, उन्हें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। उनके द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी अनिर्णित रख दिया। उनका निर्णय 2009 आरआरटी (2) एस0सी0पेज 931 व 2009(1) आरआरटी पेज 139 के विपरीत होकर काबिज निरस्त योग्य है। उनका निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 4 के अनुसार धारा 5 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2002(1) आरआरटी पेज 648 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर अच्छा हों वहां मियाद के बिन्दु को गौण रखना चाहिए। उक्त प्रकरण में रस्पो0 का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक के समक्ष संधारण योग्य नहीं था। क्योंकि प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.1993 को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही प्रार्थी के पिता के उक्त खसरा नम्बर खातेदारी में दर्ज थे। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 5 के अनुसार रेस्पो0 द्वारा कलक्टर टोंक के समक्ष वन विभाग प्रार्थना पत्र में पक्षकार तो बनाया लेकिन उनको ऐसा पक्षकार का नोटिस जारी नही किया गया। लेकिन निर्णय में भी उनको पक्षकार नहीं बनाया गया। क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार खसरा नम्बर 140 के 18 बीघा भूमि पूर्व में ही महकमा जंगलात के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 6 के अनुसार कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 29.12.1999 की पालना में उपरोक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई है। जबकि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश की पालना में यदि उक्त भूमि वन विभाग की होती तो महकमा जंगलात के नाम से दर्ज की जानी चाहिए थी। जो कि सिवायचक है ,प्रदशः 3 से स्पष्ट है। प्रदशः 1 नामातंरण संख्या 440 ग्राम बस्सी सत्यप्रतिलिपी है। प्रदशः 2 जमाबंदी संवत 2049–52 ग्राम बस्सी खाता संख्या नया 14 प्रदशः 3 नामातंरण संख्या 1161 ग्राम बस्सी की फोटोप्रति है।

पत्रावली पर उपलब्ध ऑर्डरशीट प्रकरण संख्या 13/1993 तहसीलदार निवाई बनाम कासम का पुत्र जुम्मा अन्तर्गत धारा 14(4) का अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग दिनांक 28.06.1993 के अनुसार ''पैरोकार हाजिर विपक्षी कासिम फौत हो चुका है। अतः तहसीलदार से कासम के वारिसान की सूची तलब की जायें। अन्य विपक्षी एवं मिसल की भी तलबी की जाकर दिनांक 20.09.1993 को पेश है। प्रोसिडिंग दिनांक 24.02.1997 के अनुसार पैरोकार हाजिर मृतक कासम के वारिसान में मुंशी खां के नोटिस की तामील उसकी धर्मपत्नि पर हो चुकी है। कई बार आवाज लगायी गई। कोई हाजीर नही। अतः उस पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

स्पष्ट है कि मृतक कासम के वारिसान की तलबी एलआरएक्ट के नियम 60 के तहत सम्यक रूप से की गई थी। अतः अपीलांट का यह आक्षेप गलत है कि कासम के वारिसान की तलबी नहीं की जाकर मृतक के विरूद्ध निर्णय किया गया है। जहां तक आवंटन की मूल पत्रावली को जिला कलक्टर न्यायालय में तलब किये बिना उनके द्वारा निर्णय करने की बात है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर न्यायालय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 12.05.1998 दिनांक 24.06.1998 से पत्र जिला कलक्टर टोंक द्वारा तहसीलदार निवाई एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक को लिखे गये थे। मगर उक्त पत्रावली प्राप्त नहीं हुई थी। आवंटन पत्रावली के उपलब्ध नहीं हाने पर भी सुसंगत राजस्व रिकोर्ड की सहायता से निर्णय किया जा सकता है। अतः अपीलांट की इस बात को इस बाबत उठाये गये आक्षेप को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व जुम्मा द्वारा अपने अभिभाषक मजहर आलम एडवोकेट को नियुक्त करने बाबत वकालतनामा प्रकरण संख्या 13/1993 दिनांक 23.01.1995 को दिया जाना स्पष्ट है। स्वयं जुम्मा द्वारा कायम मुकाम बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.1995 को अपने वकील के माध्यम से न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में प्रस्तुत करना पाया जाता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामातंरण संख्या 440 दिनांक 19.03.1976 के द्वारा खसरा नम्बर 140 , 18 बीघा भूमि ग्राम बस्सी वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। जबकि कासम पुत्र जुम्मा जाति सांई ग्राम बस्सी में खसरा नम्बर 140 में रकबा 1 बीघा आवंटन नामातंरण संख्या 549 दिनांक 16.07.1979 के द्वारा किया गया। उक्त आवंटन वन विभाग के आवंटन के पश्चात किया गया था। तहसीलदार ने इस वजह से यह माना है कि उसी भूमि(वन विभाग) का पुनः अन्य को आवंटन करने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक बहस में अपीलांट अभिभाषक द्वारा यह बताया गया कि कासम खान की मृत्यु के बाद सिर्फ मुंशीखां को नोटिस दिये गये , बाकी को नहीं दिये गये तथा एल0आर0 का प्रार्थना पत्र पैडिंग रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ऑर्डरशीट एवं पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। [illegible] 28.06.1993 से पत्रावली पर यह आ चुका था कि कासम खान की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिस की सूची तलब किये जाने का निर्देश दिया गया। विपक्षी को तामील भेजी गई थी। दिनांक 24.02.1997 की प्रोसिडिंग के अनुसार बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर [illegible] एवं उलफत के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा दे दी थी। जमाबंदी सवंत 2049–52 के खाता संख्या 214 नया के अनुसार जमाबंदी के कॉलम नम्बर 4 में मुंशी पुत्र कासम जाति मुसलमान सांई शाकिन्दह दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested

है। इनका स्टेटस क्या खातेदार अथवा गैर खातेदार है यह अंकित नहीं किया है। कॉलम नम्बर 5 में खसरा नम्बर 140 मीन , 140 मीन लिखा हुआ है तथा इसके सामने क्षेत्रफल 1 बीघा तथा 2 बीघा दर्ज है। नामातंरण संख्या 902 दिनांक 27.01.1994 से उलफत की बजाय मुंशी पुत्र कासम के नाम अंकन स्वीकार करने का उल्लेख किया है।

चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके जिम्मे है। अपीलांट को आवंटन के समय जो भूमि आवंटित की गई थी। उस भूमि बाबत नक्शा ट्रेस कब्जा नो तोड़ एवं उसके बाद की गिरदावरी आदि प्रस्तुत करनी चाहिए थी। जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलांट यह कहकर आया है कि उसे 1 बीघा भूमि वन विभाग को आवंटित भूमि के अलावा शेष रही भूमि में से मिली है। यह स्पष्ट नहीं करवाया है कि अपीलांट द्वारा सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा मुख्य रूप से अपने निर्णय में यह मत लिया है कि विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज थी और कासम को आवंटन से पूर्व ही वन विभाग को आवंटन हो चुकी थी। अतः कासम को किया गया आवंटन बाद में किया गया है। जो किसी भी हालत में बहाल नहीं रखा जा सकता है। जिला कलक्टर टोंक के न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया था। अपील सुनवाई में वह उपस्थित हुआ था तथा उसकी ओर से अभिभाषक भी न्यायालय में उपस्थित हुए थे। वर्तमान अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई है और देरी के कारण दिन प्रतिदिन के नही बताये गये है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 13/1993 अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रार्थना पत्र विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 07.12.1978 निर्णय दिनांक 15.03.1993 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:39 IST
Reason: SelfAttested